दैनिक भास्कर
बिलासपुर 24-06-2025

फैसला • हाईकोर्ट ने कहा- आईपीसी के प्रावधानों में हत्या की कोशिश 'जघन्य अपराध' नहीं

किशोर को वयस्क मानकर सुनाई गई उम्र कैद की सजा रद्द

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में नाबालिग को वयस्क मानकर सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास के तहत अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसमें न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट ने इस फैसले की कॉपी सभी चिल्ड्रन कोर्ट और बाल कल्याण बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं।

कोरबा जिले में एक17 साल के किशोर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड में चालान पेश किया था। बोर्ड ने आरोपी की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच मानते हुए मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में लिया और प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद इसे चिल्ड्रन कोर्ट को भेज दिया। चिल्ड्रन कोर्ट ने किशोर को वयस्क मानते हुए मुकदमा चलाया। 27 सितंबर 2017 को दिए गए फैसले में किशोर को धारा 307 के तहत दोषी करार दिया और उम्रकैद और दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।

न्यूनतम 7 साल की सजा पर ही जघन्य अपराध

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के शिल्पा मित्तल मामले का हवाला देते हुए कहा है कि किसी अपराध को तभी जघन्य माना जाएगा, जब उसमें न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का स्पष्ट प्रावधान हो। आईपीसी की धारा 307 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लिहाजा इसे गंभीर अपराध माना जाएगा, न कि जघन्य। जब अपराध गंभीर हो तो किशोर न्याय बोर्ड को ही मुकदमे की सुनवाई करनी चाहिए। चिल्ड्रन कोर्ट को केस भेजना उचित नहीं था।

हाई कोर्ट में अपील, किशोर ने कहा- स्वतंत्र जांच नहीं की गई

फैसले के खिलाफ किशोर ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील की। इसमें कहा कि उसे प्रारंभिक मूल्यांकन की रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई। न ही रिपोर्ट पर जवाब देने का मौका मिला। इसके अलावा चिल्ड्रन कोर्ट ने भी स्वतंत्र रूप से कोई जांच नहीं की और उसे सीधे दोषी ठहरा दिया।

रिहाई की संभावना के बिना सजा, यह जेजे एक्ट का उल्लंघन

हाई कोर्ट ने कहा कि चिल्ड्रन कोर्ट ने किशोर को रिहाई की संभावना के बिना उम्रकैद की सजा सुनाई। यह जेजे एक्ट की धारा 21 का सीधा उल्लंघन है। कानून साफ कहता है कि किसी भी किशोर को ऐसी सजा नहीं दी जा सकती जो रिहाई की संभावना को खत्म करे।